

**अधिसूचना संख्या 171/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1958(ई),दिनांक
20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ संख्या 1052 (ई) दिनांक 11 मई, 2010 द्वारा, केंद्र सरकार ने "उदावम करंगल, नंबर 460, एनएसके नगर, अरुंबक्कम, चेन्नई 600 106, तमिलनाडु" द्वारा "अनाथों और निराश्रितों के पुनर्वास" के लिए क्रम संख्या 11 पर 11.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, कर निर्धारण वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया था और जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचना संख्या एसओ संख्या 465 (ई) दिनांक 16 मार्च, 2012 के तहत आगे बढ़ाया गया था।

और जबकि अधिसूचना संख्या एसओ 3155(ई) दिनांक 17.10.2013 द्वारा अनुमानित लागत 11.97 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.26 करोड़ रुपये कर दी गई थी;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम का विस्तार पांच वर्ष से अधिक होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, "अनाथों और निराश्रितों का पुनर्वास" योजना या परियोजना को, जो "उदावुम करंगल, नंबर 460, एनएसके नगर, अरुंबक्कम, चेन्नई 600 106, तमिलनाडु" द्वारा अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में लागू की जा रही है, यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18।

■ ■